



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53536

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8017 वर्ष 2026

अमित कुमार

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: भरत भूषण, मैरी पुंचा (शीब जोस), मोहम्मद कलीम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मैरी पुंचा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए श्री अजय सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक अमित कुमार की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 35/2026 में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2024 की शा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3(5), 221, 196(1), 189 बीएनएस और 3/5(1) के तहत मामला दर्ज है। मामला लाइन बाजार पुलिस स्टेशन, जिला जौनपुर का है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 26.01.2026 से जेल में बंद है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मामले में एफआईआर श्री मोनू सिंह के कहने पर दर्ज की गई है, जो न तो पीड़ित व्यक्ति है और न ही पीड़ित व्यक्ति का रिश्तेदार या निकट संबंधी और इसलिए, कथित एफआईआर के आधार पर अभियोजन शुरू करना अमान्य है। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17.10.2025 के एक हालिया निर्णय पर भरोसा किया गया है, जो **राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिया गया है। यह निर्णय 2025 लॉ सूट (एससी) 1391** में प्रकाशित हुआ है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 117 में निम्नलिखित बातें कही हैं:

117. धारा 4 के यथार्थ स्वरूप को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कथित अपराध, यानी अवैध धर्मांतरण के लिए अभियोग की शुरुआत सीमित है और इसे केवल पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर या उसके निकट परिवार के सदस्यों या रक्त संबंधियों द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। हमारे विचार में, इस प्रतिबंध का मूल कारण यह मान्यता है कि धर्म को मानने, उसका पालन करने या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, और साथ ही अपनी पसंद के धर्म को त्यागने या अपनाने की स्वतंत्रता, संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का एक पहलू है। यह स्वतंत्रता मानव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंतरात्मा और निर्णय लेने की स्वायत्तता के सबसे आंतरिक क्षेत्र में निहित है। अजनबियों या असंबंधित तीसरे पक्षों के कहने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस संरक्षित क्षेत्र में एक अस्वीकार्य अतिक्रमण होगा और तुच्छ या प्रेरित मुकदमों का द्वार खोल देगा, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटियों का हनन होगा। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय ने शाफिन जहां (उपरोक्त) मामले में इस बात पर जोर दिया कि धर्म या जीवनसाथी चुनने का अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्तता का अंतर्निहित हिस्सा है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। अतः, जमानत की निवेदन की गई है।

5. विद्वान एजीए ने जमानत की निवेदन का कड़ा विरोध किया है।

6. उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना जमानत का मामला बनता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त मामले/अपराध संख्या में आरोपी-आवेदक **अमित कुमार** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा / उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

17 मार्च, 2026

दीपक/

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”